महत्वपूर्ण / समयबद्ध / ई–मेल

संख्या–2456 / आठ–3–22–10 विविध / 2019

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 23 **सितम्बर, 2022**

विषयः–हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा उपविधि–2022 (टी.डी.आर.) का क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि महायोजना / क्षेत्रीय विकास योजना में चिन्हित जनसुविधाओं यथा सड़क, पार्क, खुले स्थान आदि के लिए आरक्षित भूमि के एवज में भू–स्वामी को हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टी.डी.आर.) प्रदान करते हुये उक्त भूमि प्राप्त किये जाने हेतु अधिसूचना संख्या–2119 / आठ–3–22–10 विविध / 2019, दिनांक 23.08.2022 द्वारा हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा (टी.डी.आर.) उपविधि, 2022 निर्गत की गयी है। टी.डी.आर. उपविधि का मुख्य उद्देश्य महायोजना / क्षेत्रीय विकास योजना में चिन्हित सुविधाओं के विकास हेतु आरक्षित / प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण किये बिना निःशुल्क एवं भारमुक्त रूप में विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध कराना है।

2– हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा उपविधि, 2022 के प्रस्तर–2(दो) में ''सुविधा'' को निम्नवत परिभाषित किया गया है :–

> **''सुविधा'' के अन्तर्गत सड़क, पार्क और खुला स्थान, हरित पट्टी और / या योजना में यथा अभिहित सुविधाओं, सेवाओं, उपयोगिताओं और सुख साधनों सहित कोई अन्य सार्वजनिक कार्य अथवा जिसे सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा इस उपविधि में प्रयोजनार्थ सुविधा निर्दिष्ट किया जाए, सम्मिलित है।''**

3– टी.डी.आर. उपविधि के प्रस्तर–4 में टी.डी.आर. की अनुज्ञा हेतु प्रक्रिया के अधीन बिन्दु–(एक) में निम्नलिखित प्राविधान हैः–

> **''जब कभी प्राधिकरण के विचार से योजना में चिन्हित किसी सुविधा का विकास करना समीचीन हो, तो प्राधिकरण ऐसी भूमि के स्वामियों को ऐसे**

प्रपत्र में एवं ऐसी रीति से, जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, एक नोटिस देगा।"

4– अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "सुविधा" के अन्तर्गत परिभाषित सड़क, पार्क, खुला स्थान, हरित पट्टी, सार्वजनिक कार्य, आदि के विकास हेतु प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत टी.डी.आर. उपविधि–2022 के प्राविधानों का उपयोग करते हुए "सुविधा" का चिन्हांकन एवं उसका विकास किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव,

संख्या–2456(1)/आठ–3–22–10 विविध/2019–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
6. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार–प्रसार हेतु।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव